

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०: .....  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

**भाग-2**  
**(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

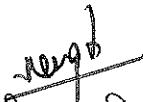
| क्र०   | मद                                                                                                                                                                                                   | विवरण                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.     | परियोजना विवरण-                                                                                                                                                                                      | जनपद सीतापुर के अन्तर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बरई जलालपुर तथा कमलापुर के मध्य ब्रिज सं०-84 के निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में। |
| (i)    | राज्य/संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                              | उत्तर प्रदेश।                                                                                                                                                             |
| (ii)   | जिला                                                                                                                                                                                                 | सीतापुर।                                                                                                                                                                  |
| (iii)  | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                            | सीतापुर वन प्रभाग।                                                                                                                                                        |
| (iv)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का वन क्षेत्र (हेक्टेअर में)                                                                                                                                | 0.85 हे०।                                                                                                                                                                 |
| (v)    | वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                  | आरक्षित वन भूमि।                                                                                                                                                          |
| (vi)   | हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                     | 0.1                                                                                                                                                                       |
| (vii)  | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय), सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर०एल०एफ०, आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किए जाय)  | संलग्न है।                                                                                                                                                                |
| (viii) | भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी                                                                                                                                       | भू-क्षरण नहीं है।                                                                                                                                                         |
| (ix)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी                                                                                                                                 | वन भूमि पर।                                                                                                                                                               |
| (x)    | क्या फॉर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिज़र्व, बाघ रिज़र्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वॉर्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय) | नहीं है।                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (xi)  | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।                                                                                     | नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरतत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। | नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8     | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जाँचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है?                     | हाँ, न्यूनतम है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9     | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं?                | नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10    | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा—                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (i)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकसित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार।                                                                 | वन भूमि पर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ii)  | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र एवं आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।                                                                                                             | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण (क्रियान्वयक एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि)                                                                                                  | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (iv)  | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0)                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रभावित 0.85 हे० के दो गुने अर्थात् 1.7 हे० अवन्त वन भूमि में रोपण हेतु रु० 196820/- प्रति हे० की दर से रु० 334594/- व्यय आएगा।</li> <li>2. प्रभावित 119 वृक्षों के 10 गुना अर्थात् 1190 पौधों के ब्रिक गार्ड रोपण हेतु रु० 3680 प्रति ब्रिक गार्ड की दर से रु० 4379200/- व्यय आएगा।</li> </ol> |

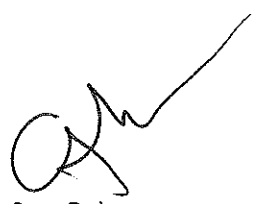
|       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                       | <p>3. प्रभावित 0.85 हे० की एन०पी०वी० रु० 9.20000 प्रति हे० की दर से रु० 782000/- का व्यय आएगा।</p> <p>4. कुल धनराशि रु० 54,95,794/- (रुपया चव्वन लाख पच्चान्नबे हजार सात सौ चौरान्नबे मात्र)।</p> |
| (v)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) | संलग्न है।                                                                                                                                                                                        |
| 11    | उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, विशेषतः उपयुक्त कॉलम-7 व 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।                                                                     | संलग्न है।                                                                                                                                                                                        |
| 12    | विभाग/जिला प्रोफाइल-                                                                                                                                                                  | सीतापुर।                                                                                                                                                                                          |
| (i)   | जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल                                                                                                                                                             | 571284.00 हे०                                                                                                                                                                                     |
| (ii)  | जिले का वन क्षेत्र                                                                                                                                                                    | 4991.17 हे०।                                                                                                                                                                                      |
| (iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र                                                                                                              | मामलों की संख्या-23<br>127.8465 हे०।                                                                                                                                                              |
| (iv)  | 1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण-                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|       | (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि                                                                                                                                     | 119.20 हे०।                                                                                                                                                                                       |
|       | (ख) वनेत्तर भूमि पर                                                                                                                                                                   | 58.728 हे०।                                                                                                                                                                                       |
| (v)   | प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति-                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|       | (क) वन भूमि पर                                                                                                                                                                        | 119.20 हे०।                                                                                                                                                                                       |
|       | (ख) वनेत्तर भूमि पर                                                                                                                                                                   | 58.728 हे०।                                                                                                                                                                                       |
|       | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।                                                                                | जनहित एवं विकास कार्यों हेतु संस्तुति की जाती है।                                                                                                                                                 |

तिथि : .....  
स्थान : .....

हस्ताक्षर:  
नाम:  
सरकारी मोहर:

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
सीतापुर

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
सीतापुर

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
सीतापुर

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
सीतापुर